चूनाराम बनाम मीठाराम वगैरह
प्रार्थना पत्र संख्या 08/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26.06.2023	अधिवक्ता अपीलांट श्री पारसमल बराडा उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश मेघवाल उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता ने प्रकरण मे मूल रेस्टोरेशन प्रार्थना पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मीठाराम द्वारा अपीलांटगण को बिना जानकारी मे लाये दिनांक 11.06.2018 को अपील जरिये विड्रोवल खारिज किये जाने का प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के समक्ष पेश कर मूल अपील जरिये विड्रोवल खारिज करवाई गई। अपीलांटगण द्वारा इस बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को कोई सहमति प्रदान नहीं की गई। अत अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 11.06.2018 अपास्त फरमाया जावे एवं मूल अपील पुनः नंबर पर ली जाकर अपील को गुणवागुण पर निर्णय पारित किये जाने का आदेश प्रदान करावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत वर्णित तथ्यो का समर्थन करते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 11.06.2018 अपास्त फरमाया जाने बाबत निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं हाजा न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांट द्वारा उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल अपील संख्या 19/2016 के अन्तर्गत पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 11.06.2018 को निरस्त किये जाने बाबत पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मीठाराम एवं समस्त अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री सतपाल पुरोहित द्वारा दिनांक 11.06.2018 को हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण मे राजीनामा होने बाबत् हवाला देते हुए अपील को जरिये नोट–प्रेस खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया, जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2018 को मूल अपील जरिये विड्रोल खारिज की गई। अपीलांटगण द्वारा उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 11.06.2018 को निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया है। उक्त आदेश पारित होने के 05 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। किन्तु उक्त विलम्ब को क्षमा करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति मे परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव मे रेस्टोरशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने मे हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना संभव नहीं है। अत उक्त रेस्टोरशन प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अभाव मे म्याद बाहर होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

26.06.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली